

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 327]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 जुलाई 2014—श्रावण 8, शक 1936

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2014

क्र. 90-वि.निर्वा.-चार-2014-उपचुनाव-550.—भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक 576/3/EVM/2014/SDR(BYA-LA) 896, दिनांक 23 जुलाई 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, तारीख 23 जुलाई 2014

संख्या 576-3-ई.वी.एम.-2014-एस-डी.-आर.(उपचुनाव).—यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे; तथा

2. यतः आयोग ने बिहार में 3-नरकटियागंज, 37-राजनगर (अ.जा.), 87-जाले, 118-छपरा, 123-हाजीपुर, 137-मोहिउद्दीननगर, 151-परबत्ता, 156-भागलपुर, 161-बाँका, 204-मोहनिया (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, कर्नाटक में 2-चिक्कोडी-सदालगा, 93-बेल्लारी (अ.जा.) और 115-शिकारीपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मध्यप्रदेश में 92-विजयराघवगढ़, 94-बहोरीबंद और 166-आगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और पंजाब में 94-तलवन्डी साबो और 115-पटियाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित है.

3. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा बिहार में 3-नरकटियागंज, 37-राजनगर (अ.जा.), 87-जाले, 118-छपरा, 123-हाजीपुर, 137-मोहिउद्दीननगर, 151-परबत्ता, 156-भागलपुर, 161-बॉका और 204-मोहनिया (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, कर्नाटक में 2-चिक्कोडी-सदालगा, 93-बेल्लारी (अ.ज.जा.) और 115-शिकारीपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मध्यप्रदेश में 92-विजयराघवगढ़, 94-बहोरीबंद और 166-आगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और पंजाब में 94-तलवन्डी साबो और 115-पटियाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में उल्लिखित करता है, जिसमें 26-7-2014 (शनिवार) को उक्त राज्यों में अधिसूचित किए जाने वाले विधान सभा के लिए चालू उप-निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए हैं.

आदेश से,
हस्ता./-
(आशीष चक्रवर्ती)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 23rd July, 2014

DIRECTION

No. 576-3-EVM-2014-SDR(Bye-LA).—WHEREAS, Section 61-A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. WHEREAS, the Commission has considered the circumstances in 3-Narkatiaganj, 37-Rajnagar (SC), 87-Jale, 118-Chapra, 123-Hajipur, 137-Mohiuddinnagar, 151-Parbatta, 156-Bhagalpur, 161-Banka and 204-Mohania (SC) Assembly Constituencies in Bihar, 2-Chikkodi-Sadalga, 93-Bellary (ST) and 115-Shikaripura Assembly Constituencies in Karnataka, 92-Vijayraghavgarh, 94- Bahoriband and 166-Agar (SC) Assembly Constituencies in Madhya Pradesh and 94-Talwandi Sabo and 115-Patiala Assembly Constituencies in Punjab, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. NOW THEREFORE, the Election Commission of India hereby specifies 3- Narkatiaganj, 37-Rajnagar (SC), 87-Jale, 118-Chapra, 123-Hajipur, 137-Mohiuddinnagar, 151-Parbatta, 156-Bhagalpur, 161-Banka and 204-Mohania (SC) Assembly Constituencies in Bihar, 2-Chikkodi-Sadalga, 93-Bellary (ST) and 115-Shikaripura Assembly Constituencies in Karnataka, 92-Vijayraghavgarh, 94- Bahoriband and 166-Agar (SC) Assembly Constituencies in Madhya Pradesh and 94-Talwandi Sabo and 115-Patiala Assembly Constituencies in Punjab, as the Constituencies in which the votes at the current bye-elections to the Legislative Assemblies of the said States to be notified on 26-7-2014 (Saturday), shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By order,
Sd./-
(ASHISH CHAKRABORTY)
Secretary,
Election Commission of India.